कालकाजी भूमिहीन कैंप में फिर चलेगा बुलडोजर

नई दिल्ली, 9 जून (संवाददाता)।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमिहीन झुग्गी-झोपड़ी (जेजे) कैंप स्थित मकानों पर नए बेदखली नोटिस चिपकाए हैं और अतिक्रमणकारियों को अगले तीन दिनों के भीतर स्थान खाली करने की चेतावनी दी है। कैंप में अधिकतर निवासी प्रवासी श्रमिक हैं और इस कैंप में अतीत में तीन बार ध्वस्तीकरण अभियान का चलाया गया है। यहां ध्वस्तीकरण अभियान इस वर्ष मई और जून तथा 2023 के जुलाई में चलाया गया। अधिकारियों के अनुसार, कैंप के केवल 1,862 परिवार ही पात्र पाए गए हैं और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर सरकारी आवास आबंटित किए गए हैं।

डीडीए के नोटिस में कहा गया है कि कालकाजी एक्सटेंशन में भूमिहीन कैंप के सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि अदालत के निर्देशानुसार अवैध जे जे क्लस्टर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि इस संबंध में तीन दिन – 8, 9 और 10 जून – दिए जा रहे हैं। इसके बाद ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जाएगा, उसके बाद डीडीए जिम्मेदार नहीं होगा। हालांकि, वर्तमान प्रश्नों पर डीडीए की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन इससे पहले 6 जून को डीडीए ने कहा था कि उसने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं को खारिज करने के बाद मई में भूमिहीन कैंप में झुग्गियों को ध्वस्त किया था। डीडीए के अनुसार, डीयूएसआइबी नीति के आधार पर 1,862 परिवार पात्र पाए गए। उसने कहा कि निवासियों के पास 2015 की अतिथि से पहले मतदाता सूची में उनका नाम और शिविर के निवासियों के रूप में अन्य ऐसे पहचान दस्तावेजों को दर्शाने वाले दस्तावेज होने चाहिए।

उपराज्यपाल ने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के कैडर पुनर्गठन को मंजूरी दी

नई दिल्ली, 9 जून (संवाददाता)।

यमुना नदी की सफाई के प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के कैडर पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है।

राजनिवास के अधिकारी ने कहा कि पुनर्गठन के हिस्से के रूप में, कार्यकारी अभियंता और कनिष्ठ अभियंता (सिविल) सहित 156 अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि लेखा अधिकारी, उच्च और निम्न श्रेणी लिपिक (यूडीसी/एलडीसी) जैसे अन्य पदों को भी मंजूरी दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि पुनर्गठन से विभाग को यमुना में गिरने वाले 22 खुले नालों के प्रबंधन में मदद मिलेगी। अधिकारी ने बताया कि नए पदों के साथ विभाग की योजना अपने प्रभागों की संख्या 14 से बढ़ाकर 20 करने की है।

दिल्ली-एनसीआर में जाम से राहत दिलाने के लिए बड़ा फैसला

दो प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी

अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले 17 किमी के नए राजमार्ग को मंजूरी | ट्रोनिका सिटी से निर्माणाधीन फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला 65 किमी लंबा राजमार्ग बनेगा

नई दिल्ली, 9 जून (संवाददाता)।

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को जाम से मुक्त करने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच हाल ही में हुई बैठक में करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत से दो प्रमुख सड़क परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी गई है।

ट्रोनिका सिटी के पास अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 (यूईआर 2) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले 17 किलोमीटर लंबे नए राजमार्ग को मंजूरी दे दी गई है। पूरा होने के बाद यह परियोजना आंतरिक सड़कों पर यातायात के भार को कम करेगी, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग-48, राष्ट्रीय राजमार्ग-44, रिंग रोड और बारापुला एलिवेटेड गलियारे पर दबाव कम होगा। परियोजना की अनुमानित निर्माण लागत 3,300 करोड़ रुपए है। अधिकारियों के अनुसार, यूईआर 2 को दिल्ली-देहरादून से जोड़ने से (जो अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होता है) हरियाणा और राजस्थान से आने वाले वाहनों को तेज कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, जो देहरादून की ओर जाता है।

ट्रोनिका सिटी से निर्माणाधीन फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद एक्सप्रेसवे या एफएनजी एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले 65 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के निर्माण की एक अन्य परियोजना को मंजूरी दी गई है। योजना के अनुसार, यह राजमार्ग एनसीआर के पांच प्रमुख मार्गों (दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, डीएनडी-फरीदाबाद राजमार्ग और यमुना एक्सप्रेसवे) को जोड़ेगा।

फाइल फोटो।

अधिकारियों के अनुसार, यूईआर 2 को दिल्ली-देहरादून से जोड़ने से (जो अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होता है) हरियाणा और राजस्थान से आने वाले वाहनों को तेज कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, जो देहरादून की ओर जाता है।

पूरा होने के बाद यह परियोजना आंतरिक सड़कों पर यातायात के भार को कम करेगी, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग-48, राष्ट्रीय राजमार्ग-44, रिंग रोड और बारापुला एलिवेटेड गलियारे पर दबाव कम होगा। परियोजना की अनुमानित निर्माण लागत 3,300 करोड़ रुपए है।

दस्तावेज में कहा गया है कि यह राजमार्ग उत्तर और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के साथ लोनी, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद जैसे एनसीआर के शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे आंतरिक सड़कों और सराय काले खां खंड और कालिंदी कुंज जैसे शहर के केंद्रों में भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी तथा अंतर-शहरी और माल यातायात के लिए एक विकल्प उपलब्ध होगा।

इस परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति के वास्ते निविदा जारी कर दी गई है, निर्माण की अनुमानित लागत 7,500 करोड़ रुपए है।

लाउडस्पीकर बजाने से मना करने पर पुलिसकर्मी को पीटा

नई दिल्ली, 9 जून (संवाददाता)।

दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक धार्मिक सभा में तय समय के बाद लाउडस्पीकर बजाने से मना करने पर एक सहायक उपनिरीक्षक को भीड़ ने कथित तौर पर पीटा। घायल अधिकारी की कलाई में गंभीर चोटें लगी है और उसका इलाज चल रहा है। यह घटना बुधवार की रात को हुई, जब आपातकालीन ड्यूटी पर तैनात एएसआई ने धार्मिक आयोजन में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर कार्रवाई की।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि एएसआइ गली नंबर एक, चार चौक के पास पहुंचा, जहां करीब 200 लोग जागरण के लिए एकत्र हुए थे। उसने आयोजकों को बताया कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का समय रात 10 बजे समाप्त हो गया है, जबकि रात के 11:30 बज चुके थे और उन्होंने आयोजकों से इसे बंद करने को कहा।

हालांकि, कथित तौर पर आयोजकों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और अधिकारी के साथ बहस शुरू कर दी।

पुलिस ने बताया कि जब एएसआइ ने उपकरण जब्त करने की कोशिश की तो करीब 20 से 25 लोगों ने कथित तौर पर उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। हाथापाई के दौरान एक एम्पलीफायर से उसके हाथ में चोट लग गई, जिससे फ्रैक्चर हो गया। भीड़ ने उसकी वर्दी भी फाड़ दी। अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

वैशाली शाखा महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर
सी–1 सेक्टर–4 वैशाली गाजियाबाद, यू.पी. 201012– फोनः 0120–2772211
ईमेलः vaigha@bankofbaroda.com

ई–नीलामी–बिक्री–सूचना चल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

(1) वाहनों के निरीक्षण की तिथि दिनांक 11.07.2025 तक पूर्व नियुक्ति के साथ (2) धरोहर जमा राशि (ईएमडी) जमा करने की अंतिम तिथि 19.07.2025 सायं 6:00 बजे या उससे पूर्व (3) ई–नीलामी की तिथि 19.07.2025

कार जब्ती नोटिस द्वारा कब्जे के तहत चल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना। आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिबंधक/गिरवी/बंधक/प्रभारित है, का **भौतिक कब्जा और रचनात्मक कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार **बैंक ऑफ बड़ौदा, वैशाली, गाजियाबाद शाखा**, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **19.07.2025** को बेचा जाएगा।

कर्जदार का नाम	चल प्रतिभूति आस्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि	वर्तमान बकाया	भौतिक कब्जा	ई–नीलामी की तिथि / समय खाता नं. IFSC कोड	सम्पर्क व्यक्ति
उधारकर्ताः श्री अजय गर्ग पुत्र श्री मुन्ना लाल गर्ग **पताः बी9, लोहिया नगर मार्केट, गाजियाबाद, यू.पी.–201001**	मारुति सुजुकी डिजायर वीडीआई BSIV डीजल कार पंजीकरण संख्याः UP14DM6992 पंजीकरण तिथि : 03.02.2018, निर्माण वर्षः 2017 निजी वाहन में बैठने की क्षमताः 5 चालक सहित रंग : ऑक्सफोर्ड ब्लू	रु. 2,21,000/- / रु. 22,100/- / रु. 10,000/-	दिनांक 10.12.2024 तक रु. 2,94,815.21/–(रूपये दो लाख चौरानवे हजार आठ सौ पंद्रह और इक्कीस पैसे मात्र) + उस पर अप्रयुक्त एवं अप्रदत्त ब्याज और अन्य शुल्क।	हाँ	19.07.2025 अपा. 02.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक	वैशाली शाखा 9760818448

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात **https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm and https://baanknet.com** पर दिए गए लिंक को देखें। इच्छुक बोलीदाता उपरोक्त तालिका में उल्लिखित मोबाइल **9760818448** पर **प्राधिकृत अधिकारी** से संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक : 09.06.2025, स्थान : गाजियाबाद — शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
ई-नीलामी सूचना

ई-निविदा सूचना क्र: COM/C&F/E-auction /25/E1970925 दिनांक: 06.06.2025
रायपुर मंडल में आम एवं लीजिंग अनुबंध हेतु ई-नीलामी निम्नानुसार निर्धारित है:
Asset Description: 1. एनएफआर के तहत 5 साल के लिए ओओएच न्यू वाल्टेयर गेट डीआरएम कार्यालय की ओर, वाल्टेयर गेट और समतवाई गेट के अंडर ब्रिज के प्रवेश और निकास के माध्यम से विज्ञापन निविदा।
नीलामी तारीख: 21.06.2025
2. दुर्ग रेलवे स्टेशन में पार्सल स्कैनर हेतु निविदा।
नीलामी तारीख: 23.06.2025
नीलामी समय: 12:00 से 12:30 बजे तक
सभी ई-नीलामी अधिसूचनाओं का विवरण वेब-साइट www.ireps.gov.in पर अपलोड किया गया है। महा. मंडल वाणिज्य प्रबंधक, द.पू.म. रेलवे, रायपुर
PR/R/SR.DCM/FL/60
South East Central Railway | @secrail

उम्मीद हाउसिंग फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएन : यू65922एचआर2016पीटीसी057984
पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नंबर 2009-14, 20वां तल, मैग्नम ग्लोबल पार्क, सेक्टर-58, गुरुग्राम (हरियाणा)-122011

अचल संपत्तियों की बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित 8(6) के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु बिक्री की सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से नीचे तालिका में वर्णित कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा प्रत्याभूत लेनदार, मैसर्स उम्मीद हाउसिंग फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 06-06-2025 को लिया जा चुका है, ऋण का समनुदेशन यूएचएफपीएल में किए जाने के अनुसरण में, कम्पनी की बकाया राशि की वसूली के लिए **"जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर दिनांक 15-07-2025 को बेची जाएगी।**

अचल सम्पत्ति का वर्णन ज्ञात ऋणभार, यदि कोई, सहित सम्पत्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : संपत्ति संख्या सी-359 पर निर्मित द्वितीय एवं तृतीय तल (छत के अधिकार नहीं), परिमाप 50 वर्ग गज, खसरा संख्या 839 का अंश, जो गली नंबर 11 पहला पुश्ता, न्यू उस्मानपुर, दिल्ली-110053 की आबादी में घोंडा गुजरान खादर गांव में स्थित है। चौहद्दी निम्नानुसार – पूरब : गली 10 फीट चौड़ी, पश्चिम : अन्य प्लॉट। उत्तर : प्लॉट नंबर 360/3, दक्षिण : प्लॉट नंबर 358

कर्जदार/रों एवं गारंटर/रों का नाम एवं पता	1. नीलामी की तिथि और समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय	1. सुरक्षित मूल्य 2. संपत्ति की ईएमडी 3. बोली वृद्धि
1. प्रेम चंद पुत्र नानक चंद (कर्जदार) 2. अनीता पत्नी प्रेम चंद (सह–कर्जदार) 3. शीला देवी पत्नी नानक चंद (सह–कर्जदार 4. नानक चंद पुत्र चंदू (सह–कर्जदार) उपरोक्त सभी निवासी – एक्स-303/19 गली नंबर 1 ब्रह्मपुरी, सीलमपुर उत्तर पूर्व दिल्ली, दिल्ली–110053 अन्य पता : बी–124 मेन रोड, पहला पुश्ता, न्यू उस्मानपुर, शास्त्री पार्क, उत्तर पूर्व दिल्ली, दिल्ली–110053 लोन नंबर LXLAX02920-210008219.	1) नीलामी तिथि : 15–07–2025 मध्या 12:00 बजे से अप 1:00 बजे के बीच 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 2) केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 11–07–2025 को अप 7:00 बजे तक (आईएसटी) है। 3) निरीक्षण की तिथि : 09–07–2025 पूर्वा. 11:00 बजे से अप 4:00 बजे (आईएसटी) के बीच	1. सुरक्षित मूल्य : रु 26,28,000/– 2. बयाना राशि जमा : रु 2,62,800/– 3. बोली वृद्धि : रु. 15,000/– एवं ऐसे गुणकों में।

दिनांक 04 जून 2025 तक कुल बकाया राशि रु. 23,34,906/–(रुपये तेईस लाख चौंतीस हजार नौ सौ छह मात्र) + 05 जून 2025 से आगे ब्याज और अन्य शुल्क।

स्थान : गुरुग्राम — प्राधिकृत अधिकारी, गौरव त्रिपाठी मोबाइल – 9650055701
तिथि : 10–06–2025 — उम्मीद हाउसिंग फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
अचल संपत्ति की अधिग्रहण सूचना

पंजीकृत कार्यालय : भूखंड- 15, 6वां तल, सेक्टर- 44, इंस्टिट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा- 122002, शाखा कार्यालय : दुकान नं. 67बी व 68, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 277 (पूर्व), डीसीएम के समीप, अजमेर रोड, जयपुर- 302021- राजस्थान / शाखा कार्यालय : 1, जी-ब्लॉक, एमएमसी भाटिया, श्री गंगानगर, राजस्थान 335001

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इंडिया शेल्टर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रवर्तन (सुरक्षा) हित अधिनियम, 2002 के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में, नीचे उल्लिखित खाते के विलम्ब उल्लेखित तारीख को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता और संपत्ति के मालिक/जमानतदार को उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि चुकाने के लिए कहा गया। जबकि संपत्ति के मालिक और अन्य द्वारा राशि वापस करने में विफल रहने के कारण, नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 और 9 के साथ नीचे वर्णित संपत्ति/संपत्तियों का भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है। अब, विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को इस संपत्ति/संपत्तियों के साथ कोई भी लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति/संपत्तियों के साथ कोई भी लेन-देन नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज, लागत, आदि के लिए इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणकर्ता / गारंटर (संपत्ति के स्वामी) का नाम तथा ऋण खाता संख्या	प्रभारित / बंधककृत संपत्ति का विवरण (संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश निम्न में सम्मिलित हैं)	मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना की तिथि के अनुसार देयराशि	अधिग्रहण की तिथि तथा प्रकार
श्रीमती गुरमीत कौर, श्री गुरदीप सिंह, श्री भतिंदर सिंह बराड़ और श्री बलिंदर सिंह, लोन 8 बीजीबी, जीपी– 8बीजीबी, (पेज़ा संख्या 18) तहसील विजयनगर जिला अनूपगढ़, 335704– राजस्थान ऋण खाता संख्या LAAPV LLONS000005086581/ AP–10208131	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल, पंजीकृत पट्टा संख्या 18, जीपी– 8बीजीबी, तहसील विजयनगर जिला अनूपगढ़, राजस्थान कुल प्रवेश क्षेत्र लगभग– 6566 वर्ग फीट, सीमा: पूर्व– बीरबल, पश्चिम– रास्ता, उत्तर– गिरधर, री देवी, दक्षिण– रास्ता	मांग सूचना 14–जनवरी–2025 रु. 22,63,846/रुपये बाईस लाख तिरसेठ हजार आठ सौ छियालीस मात्र) 10–जनवरी–2025 तक देय, साथ में 11–जनवरी–2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	04/06/ 2025 सांकेतिक
श्रीमती बीना देवी और देव लाल गुर्जर, पता – गुर्जर मोहल्ला, ग्राम गोहरपुरा, ग्राम पंचायत सोनवा पंचायत समिति टोंक तहसील और जिला टोंक राजस्थान 304001 ऋण खाता संख्या – HL11CHLONS000005082617/ AP-10199852	पट्टा संख्या 15248 का पूरा टुकड़ा और पार्सल ग्राम गोहरपुरा ग्राम पंचायत सोनवा पंचायत समिति टोंक तहसील और जिला टोंक राजस्थान, क्षेत्रफल 1342 वर्ग फीट। सीमा: – पूर्व–ग्राम रास्ता, पश्चिम–प्रह्लाद गुर्जर का बाड़ा, उत्तर–विजय सिंह का घर, दक्षिण–कालू राम गुर्जर का घर	मांग सूचना 12/02/2025 रु. 395040/ (रुपये तीन लाख पंचानवे हजार चालीस मात्र) 10/02/2025 तक देय साथ में 11/02/2025 से ब्याज और अन्य शुल्क और भुगतान की तिथि तक लागत।	04/06/ 2025 सांकेतिक
श्रीमती नटी बाई, लक्ष्मण नागर, प्रदीप कुमार नागर और विट्ठल लाल पुत्र– ग्राम मंडोला, बड़े मंदिर, की गली वार्ड नंबर 2, मंडोला बारां जिला– बारां, राजस्थान 325205 ऋण खाता संख्या : HL12RNLONS000005065198 / AP-10149317	पट्टा संख्या 3071 का पूरा टुकड़ा और पार्सल खसरा नंबर 905, गांव मंडोला तहसील और जिला बारां में स्थित प्लॉट का क्षेत्रफल 936 वर्ग फीट, सीमा : – पूर्व– रोड, पश्चिम– गोपाल धाकड़ का घर, उत्तर–किशन लाल नागर का घर, दक्षिण–छोटूमल माली गुर्जर का घर।	मांग सूचना 12/03/2025 रु. 8,53,788/– (रुपये आठ लाख तिरपन हजार सात सौ अट्ठासी मात्र) 09–03–2025 तक देय, 10–03–2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत सहित।	04/06/ 2025 सांकेतिक
श्रीमती कौशल्या बाई और हेमराज गुर्जर, पता – पीपलखाखा, बारां, जिला– बारां राजस्थान 325221 ऋण खाता संख्या– HL12CHLONS000005065584/ AP-10148474	संपत्ति का पूरा टुकड़ा खसरा नंबर 192, प्लॉट नंबर 120, कृष्ण नगर कॉलोनी, ग्राम हरनावदा जागीर, पंचायत समिति छीपाबड़ौद, जिला बारां राजस्थान में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 800 वर्ग फीट है। सीमा– पूर्व–प्लॉट संख्या 141 खुला प्लॉट, पश्चिम– रोड, उत्तर– प्लॉट संख्या 119 खुला प्लॉट, दक्षिण –राधेश्याम का मकान प्लॉट संख्या 121	मांग सूचना 12/02/2025 रु. 390214/– (रुपये तीन लाख नब्बे हजार दो सौ चौदह मात्र) 10–02–2025 तक देय, साथ में 11–02–2025 से ब्याज और अन्य शुल्क और लागत का भुगतान।	06/06/ 2025 सांकेतिक

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री विनय राणा (+91 7988605030) से संपर्क करें।
स्थान : राजस्थान दिनांक : 10–06–2025 — (प्राधिकृत अधिकारी) इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CORRIGENDUM TO THE PUBLIC ANNOUNCEMENT, DETAILED PUBLIC STATEMENT, AND THE DRAFT LETTER OF OFFER ("CORRIGENDUM") FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

NAZARA TECHNOLOGIES LIMITED

Corporate Identification Number (CIN): L72900MH1999PLC122970
Registered Office: 51-54, Maker Chamber 3 Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India,
Contact No: +91 22 4033 0800/ 2281 0303; **Website:** www.nazara.com; **E-mail Id:** info@nazara.com;

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 2,40,82,567 (TWO CRORE FORTY LAKH EIGHTY TWO THOUSAND FIVE HUNDRED SIXTY SEVEN) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹4/- (RUPEES FOUR ONLY) EACH ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING 26.00% (TWENTY SIX PERCENT) OF THE TOTAL VOTING SHARE CAPITAL OF NAZARA TECHNOLOGIES LIMITED ("TARGET COMPANY") ON A FULLY DILUTED BASIS AT AN OFFER PRICE OF ₹990.00/- (RUPEES NINE HUNDRED NINETY ONLY) BY AXANA ESTATES LLP (ACQUIRER 1) AND PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP (ACQUIRER 2) (HEREINAFTER COLLECTIVELY REFERRED TO AS "ACQUIRERS") ALONGWITH JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED ("PAC") AS PERSON ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRERS, FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH REGULATIONS 3(1) & 4 OF SEBI (SAST) REGULATIONS ("OPEN OFFER" OR "OFFER").

This Corrigendum is being issued by Choice Capital Advisors Private Limited, the Manager to the Offer ("Manager to the Offer"), for and on behalf of the Acquirers and PAC, in compliance with the SEBI (SAST) Regulations.

This Corrigendum is in continuation of and should be read in conjunction with the public announcement dated January 20, 2025 ("PA"), Detailed Public Statement dated January 25, 2025, published on January 26, 2025 and January 27, 2025 ("DPS"), the Corrigendum to DPS published on April 05, 2025 and the Draft Letter of Offer dated February 03, 2025 ("DLOF"). This Corrigendum is being issued in all the newspapers in which the DPS was published in accordance with Regulation 18(5)(b) of the SEBI (SAST) Regulations.

Capitalized terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meaning assigned to such capitalized terms in the Draft Letter of Offer ('DLOF'), unless otherwise defined.

In relation to the PA, DPS, Corrigendum to DPS and DLOF, the public shareholders of the Target Company are requested to take note of the following developments/ amendments:

1. Material updates
- The Acquirers and PAC have received approval of the Competition Commission of India ("CCI") for the consummation of the underlying transaction and proposed Open Offer on May 20, 2025.
- Target Company has issued and allotted 61,948 (Sixty One Thousand Nine Hundred Forty Eight) fully paid up equity shares to select shareholders pursuant to exercise of vested ESOPs. The shares are listed and permitted to trade on stock exchanges with effect from March 12, 2025

2. Revision of Offer Size
- Pursuant to exercise of vested ESOPs, Target Company has issued and allotted 61,948 (Sixty One Thousand Nine Hundred Forty Eight) fully paid up equity shares, which taken together with 9,000 (Nine Thousand) vested ESOPs (not yet exercised) effected increase in Total Voting Share Capital to up to 9,26,25,256 (Nine Crore Twenty Six Lakh Twenty Five Thousand Two Hundred and Fifty Six) fully paid-up equity shares of face value ₹4/- (Rupees Four only).
- In compliance with Regulation 7(1) of SEBI (SAST) Regulations, the offer size stands revised to up to 2,40,82,567 (Two Crore Forty Lakh Eighty Two Thousand Five Hundred Sixty Seven) fully paid-up equity shares of face value of ₹4/- (Rupees Four only), representing 26.00% (Twenty Six Percent) of Total Voting Share Capital of the Target Company which is incremental 18,446 (Eighteen Thousand Four Hundred and Forty-Six) equity shares. Such revision in offer size is in accordance with Regulations 7(1), 18(4) and 18(5) of SEBI (SAST) Regulations ("Revised Offer Size / Revised Offer Shares").
- The term "Offer Size" in the PA, the DPS, the Corrigendum to DPS and the DLOF should accordingly be read to mean the "Revised Offer Size".

3. Financial Arrangements
- The Acquirers and PAC had originally deposited a total amount of ₹3,13,23,47,979/- (Rupees Three Hundred Thirteen Crore Twenty-Three Lakh Forty-Seven Thousand Nine Hundred and Seventy-Nine only) in the Escrow Account ("Original Escrow Deposit"). The cash deposit has been confirmed by the Escrow Agent by way of a confirmation letter dated January 23, 2025.
- Pursuant to revision of the original offer size and in compliance with Regulations 17(2) and 18(5) of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirers and PAC have deposited an additional amount of ₹18,26,154/- (Rupees Eighteen Lakh Twenty Six Thousand One Hundred Fifty Four only) in the Escrow Account ("Additional Escrow Deposit") on June 09, 2025. The aforesaid cash deposit has been confirmed by way of a confirmation letter dated June 09, 2025, issued by the Escrow Agent to the Manager to the Offer.
- The aggregate of Original Escrow Deposit and Additional Escrow Deposit, being a sum of ₹313,41,74,133/- (Rupees Three Hundred Thirteen Crore Forty One Lakh Seventy Four Thousand One Hundred and Thirty-Three only) is in compliance with Regulation 17(1) of the SEBI (SAST) Regulations, i.e., a sum total of (i) 25.00% (Twenty Five percent) of INR 500,00,00,000 (Indian Rupees Five Hundred Crore) out of the offer size; and (ii) 10.00% (Ten percent) of the balance of the offer size.

4. Other Information
- Except as detailed in this Corrigendum, all other terms and contents of the PA, the DPS, the Corrigendum to DPS and the DLOF remain unchanged.
- The Acquirers and PAC accept full responsibility for the information contained in the Corrigendum.
- This Corrigendum will be available on the website of the Securities and Exchange Board of India at www.sebi.gov.in, Target Company at www.nazara.com, BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com.
- The Acquirers and PAC will suitably update the Letter of Offer for the above mentioned changes including revised schedule of activities, in accordance with provisions of the SEBI (SAST) Regulations and subsequent amendments thereof.

Issued on behalf of the Acquirers/ PAC by the Manager to the Offer:

Choice — The Joy of Earning

CHOICE CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED
Sunil Patodia Tower, Plot No. 156-158, J. B. Nagar, Andheri (East), Mumbai 400 099, Maharashtra, India.
Contact Number: +91 22 6707 9999 / 7919
E-mail Address: Nazara.openoffer@choiceindia.com
Investor grievance Email Address: investorgrievances_advisors@choiceindia.com
Website: www.choiceindia.com/merchant-investment-banking
Contact Person: Ms. Nimisha Joshi
SEBI Registration No. INM000011872
Place: Mumbai
Date: 09.06.2025

फॉर्म नंबर INC-25A

सार्वजनिक कंपनी को लिमिटेड कंपनी में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में,
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में,
और
मेसर्स नवांशहर फाइनेंस लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय **23/18, तीसरी मंजिल, सुमन कॉम्प्लेक्स, पुराना न्यायिक परिसर, सिविल लाइंस रोड, मोर चौक, गुड़गांव, हरियाणा-122001** में स्थित है, के मामले में। .....आवेदक

आम जनता को सूचना दी जाती है कि कंपनी उपरोक्त नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव रखती है और **शुक्रवार, 30 मई, 2025** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार एक **प्राइवेट लिमिटेड** कंपनी में परिवर्तित होने की इच्छुक है, ताकि कंपनी को इस तरह के परिवर्तन को प्रभावी करने में सक्षम बनाया जा सके।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हितों की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए एक हलफनामे के रूप संरक्षित अपनी आपत्तियों को क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से **चौदह दिनों** के भीतर **बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003, भारत** के पते पर वितरित कर सकता है या पंजीकृत डाक से भेज सकता है। जिसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे उल्लिखित पते पर भेजी जाएगी:
23/18, तृतीय तल, सुमन कॉम्प्लेक्स, पुराना न्यायिक परिसर, सिविल लाइंस रोड, मोर चौक, गुड़गांव-122001

आवेदक की ओर से और उसकी ओर से
नवांशहर फाइनेंस लिमिटेड
हस्ताक्षरकर्ता/-
प्रतीक सिंगला
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06605420
23/18, तृतीय तल, सुमन कॉम्प्लेक्स, पुराना न्यायिक परिसर, सिविल लाइंस रोड, मोर चौक, गुड़गांव-122001

दिनांक: 10.06.2025
स्थ